27 (5) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आदर्श सतर्कता ढांचा

सरकार ने भ्रष्टाचार से मुकाबला करने और अन्वेषण तथा सतर्कता एजेन्सियों के कार्य को और अधिक स्वतंत्र, प्रभावी, विश्वसनीय और मुस्तैद बनाने में दिलचस्पी दिखाते हुए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थापित सतर्कता संगठनों पर अध्ययन करने का कार्य सौंपा है। अध्ययन में यह पाया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों व प्रचालनों की प्रकृति भिन्न, असमान और अधिकांशत विषम प्रकार की है। फिर भी यह बताया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सतर्कता प्रभाग कुल मिलाकर जांच–पड़ताल, अनुशासनिक कार्यवाही, भ्रष्टाचार निरोधक कार्य, निवारक निगरानी मतें और कुछ मामलों में तकनीकी व लेखापरीक्षा संबंधी कार्य करता है। इन कार्यों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सभी सतर्कता यूनिटों के पास पर्याप्त कार्मिक होने चाहिएं। अध्ययन से ये निष्कर्ष निकला है कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक समान सतर्कता संरचना की सिफारिश करना अव्यावहारिक होगा परंतु प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अपेक्षित कुशल व प्रशिक्षित सतर्कता कार्मिकों की आवश्यकता पर जोर दिया गया और सा.क्षे. के उपक्रमों में व्यापक दिशा निर्देशों के रूप में निम्नलिखित आदर्श सतर्कता संरचना की सिफारिश की गई जिसे ये उपक्रम ऐसे संशोधन अपनाएंगे जो उनकी आवश्यकतानुसार उपयुक्त हों:–

1. निगमित कार्यालय

(i) मुख्य सतर्कता अधिकारी

(ii) उपमुख्य सतर्कता अधिकारी (अनुसूची 'क' व 'ख' में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए)

(iii) सतर्कता विंग

(क) अन्वेषक विंग

–वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी एक

– अन्वेषक दो

– आशुलिपिक दो

(ख) भ्रष्टाचार निरोधक एवं सतर्कता विंग

– वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी एक

– अन्वेषण सहायक दो

– आशुलिपिक एक

(ग) अनुशासनिक कार्यवाही विंग

– वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी एक

– सतर्कता अधिकारी दो

– आशुलिपिक एक

(घ) निवारक सतर्कता विंग

– वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी एक

– सतर्कता अधिकारी एक

– आशुलिपिक एक

(ड.) तकनीकी विंग (यह इंजीनियरी और अन्य तकनीकी कार्यों में लगे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू है)

– वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी एक

– सतर्कता अधिकारी एक

– विशेषज्ञ एक

– आशुलिपिक एक

2. क्षेत्रीय/परियोजना/संयंत्र कार्यालयः (यह केवल अनुसूची 'क' व 'ख' में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू है।)

– वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी एक

– अन्वेषक एक

– आशुलिपिक एक

3. इस सिफारिश की इस विभाग में जांच की गई तथा यह निर्णय लिया गया है कि सा.क्षे. के उपक्रमों को संगठन के आकार, प्रकार्य व प्रचालन के आधार पर उपयुक्त संशोधन के साथ आदर्श (मॉडल) सतर्कता संरचना को अपनाने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

4. अतः सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उपर्युक्त आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने का परामर्श दें तथा इस कार्यालय ज्ञापन (ओ एम) के जारी होने की तारीख से 6 महीने की अवधि में डी पी ई को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(डी पी ई का तारीख 25 सितंबर, 1998 का का.ज्ञा. सं. 15(7)/98 (जीएल–2009/जीएम)